क्रम-संख्या–216

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 28 दिसम्बर, 2023
पौष 7, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग–1

संख्या 561 / 79-वि-1–2023-2-क-6-2023
लखनऊ, 28 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2023) जिससे स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2023

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2023)

[भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिसके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अध्यादेश भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2023 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

820 RPH (vidhaika-2021 adhyadesh folder) 2023 data 4e

अधिनियम संख्या 2 सन् 1899 की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 48 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 48 में, खण्ड (ङ) तथा (ङङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिए जायेंगे, अर्थात:–

(ङ) (एक) जब अटर्नी को अचल सम्पत्ति के विक्रय करने का अप्रतिसंहरणीय प्राधिकार प्रदान किया जाय।	अचल संपत्ति, जो मुख्तारनामा की विषय–वस्तु हो, के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण [संख्या 23 खण्ड (क)] के समान शुल्क ।
(दो) जब अटर्नी को अचल सम्पत्ति के विक्रय करने का प्राधिकार प्रतिफल के रूप में प्रदान किया जाय।	अचल संपत्ति, जो मुख्तारनामा की विषय–वस्तु हो, के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण [संख्या 23 खण्ड (क)] के समान शुल्क ।
(ङङ) (एक) जब परिवार के सदस्यों [पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, दामाद, भाई, बहन, पौत्र/पौत्री (पुत्र का पुत्र/पुत्री), नाती/नातिन (पुत्री का पुत्र/पुत्री)] को सम्बन्ध के सबूत के साथ प्राधिकृत किया जाय।	5000 रूपये
(दो) जब उपखण्ड (एक) में उल्लिखित परिवार के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति को मुख्तारनामा के माध्यम से अचल सम्पत्ति के विक्रय करने के लिए प्राधिकृत किया जाय।	अचल संपत्ति, जो मुख्तारनामा की विषय–वस्तु हो, के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण [संख्या 23 खण्ड (क)] के समान शुल्क ।

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

———

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 561(2)/LXXIX-V-1–2023-2-ka-6-2023

Dated Lucknow, December 28, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bhartiya Stamp (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 19 of 2023) promulgated by the Governor, Stamp evam Registration Anubhag-2 is administratively concerned with the said Ordinance.

INDIAN STAMP (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ORDINANCE, 2023

(U.P. Ordinance no. 19 of 2023)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-fourth Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to Uttar Pradesh.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 2023.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of Article 48 of Schedule 1- B of Act No. 2 of 1899

2- In Article 48 of Schedule 1-B of the Indian Stamp Act, 1899 as amended in its application to Uttar Pradesh, *for* clauses (e) and (ee), the following clauses shall be *substituted*, namely:-

"(e) (i) When irrevocable authority is given to the attorney to sell the immovable property.	The same duty as a Conveyance [No. 23 clause (a)] on the market value of the immovable property which is the subject matter of the power of attorney.
(ii) When authority to sell the immovable property is given to the attorney for consideration.	The same duty as a Conveyance [No. 23 clause (a)] on the market value of the immovable property which is the subject matter of the power of attorney.
(ee) (i) When the members of the family [father, mother, husband, wife, son, daughter-in-law, daughter, son-in-law, brother, sister, grand son/grand daughter (son's son/daughter), grand son/ grand daughter (daughter's son/ daughter)] to be authorized with proof of relationship.	Rs. 5000/-

(ii) When any person other than the members of the family mentioned in sub-clause (i) is authorized to sell the immovable property by means of Power of Attorney.	The same duty as a Conveyance [No. 23 clause (a)] on the market value of the immovable property which is the subject matter of the power of attorney."

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.

———

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 820 राजपत्र–2023–(2323)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 146 सा0 विधायी–2023–(2324)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

820 RPH (vidhaika-2021 adhyadesh folder) 2023 data 4e